





अपना पैसा और गंगा दोनों को बचाए, खले में कचरा ना फैलाए।







कृपया ध्यान दें। यहां कचरा फैलाने पर **५००० रुपये** तक का जुर्माना लग सकता है। नगर निगम हरिद्वार की सहायता करें ।